(12)		(13)
Group 'C' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) consisting of :—		Not applicable.
1. Additional Director/Joint Director, Central Water and Power Research Station, Pune	—Chairman	
2. Chief Research Officer, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member	
3. Chief Administrative Officer/Administrative Officer Central Water and Power Research Station, Pune	—Member	
4. A Group 'A' Officer from any other Ministry or Department of the Central Government	—Member	

[F. No. 2/5/2009-E. II]
R. K. OJHA, Under Secy.

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2012

सा.का.नि. 62.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, (हिन्दी अधिकारी) भर्ती नियम, 1988 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रान्त करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे में सहायक निदेशक (राजभाषा) के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम जल संसाधन मंत्रालय, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे, सहायक निदेशक (राजभाषा), समूह 'क' पद भर्ती नियम, 2012 है ।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।

2. पद की संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान.—उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन या वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट हैं ।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि .—उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ 5 से 13 में विनिर्दिष्ट हैं ।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति,—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

5. शिथिल करने की शक्ति.—जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं, उन्हें लेखबद्ध करके और संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

6. व्यावृत्ति.—इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड और ग्रेड वेतन या वेतनमान	चयन अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
सहायक निदेशक राजभाषा	1* (2012) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है ।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह 'क', राजपत्रित, अनुसचिवीय	वेतन बैंड 3, 15600—39100 रु. और ग्रेड वेतन 5400 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित, शैक्षिक और अन्य अर्हताएं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो
(7)	(8)	(9)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नत व्यक्तियों के लिए दो वर्ष

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरे जाने वाले रिक्त पदों की प्रतिशतता	प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति या आमेलन किया जाएगा
(10)	(11)
सम्मिश्र पद्धति (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति)	**सम्मिश्र पद्धति (प्रतिनियुक्ति/प्रोन्नति) :** 1. केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के ऐसे अधिकारी :— (क)(i) जो मूल काडर या विभाग में नियमित आधार पर सदृश पद धारण कर रहे हैं; या (ii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु. में इसमें नियुक्ति के पश्चात् श्रेणी में दो वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; या (iii) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4600 रु. में इसमें नियुक्ति के पश्चात् तीन वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों; या (iv) जो मूल काडर या विभाग में वेतन बैंड-2 के वेतनमान 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4200 रु. में इसमें नियुक्ति के पश्चात् आठ वर्ष नियमित सेवा कर चुके हों । (ख) निम्नलिखित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव रखता हो : (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से हिन्दी में मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से अंग्रेजी में मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी और अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में हिन्दी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर अंग्रेजी एक विषय के रूप में हो या किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी विषय में अंग्रेजी माध्यम से मास्टर डिग्री और साथ ही बेचलर डिग्री स्तर पर हिन्दी एक विषय के रूप में हो; (ii) हिन्दी में पारिभाषिक शब्दावली कार्य का और/या अंग्रेजी से हिन्दी या हिन्दी से अंग्रेजी अनुवाद कार्य का पांच वर्ष का अनुभव अधिमानतः केन्द्रीय सरकार के संगठन में तकनीकी या वैज्ञानिक साहित्य संबंधी कार्य का पांच वर्ष का अनुभव

	(11)
	या केन्द्रीय सरकार के संगठन में हिन्दी में अध्यापन, अनुसंधान, लेखन या पत्रकारिता का पांच वर्ष का अनुभव 2. वेतन बैंड-2 में 9300—34800 रु. और ग्रेड वेतन 4800 रु. के वेतनमान में विभागीय वरिष्ठ हिन्दी अनुवादक जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है, पर भी बाह्य व्यक्तियों के साथ विचार किया जाएगा और यदि पद पर उसका चयन हो जाता है तो उसे प्रोन्नति द्वारा भरा गया समझा जाएगा । **टिप्पण 1 :** प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की गणना के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना का विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा को वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी । **टिप्पण 2 :** प्रतिनियुक्ति के आधार पर नियुक्ति के प्रयोजन के लिए 1 जनवरी, 2006 या वह तारीख जिसको छठे केन्द्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनरीक्षित वेतन संरचना विस्तारित की गई है, से पूर्व किसी अधिकारी द्वारा नियमित आधार पर की गई सेवा वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित तत्स्थायी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझी जाएगी सिवाय इसके जहां एक सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमान के साथ, एक या एक से अधिक पूर्व पुनरीक्षित वेतनमान का एक ग्रेड में विलय किया गया है और जहां यह फायदा केवल उस पद या उन पदों का विस्तारित होगा जिसके लिए वह ग्रेड वेतन/वेतनमान बिना किसी उन्नयन के सामान्य प्रतिस्थापन ग्रेड हो । **टिप्पण 3 :** पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे, इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । **टिप्पण 4 :** प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन या विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी । **टिप्पण 5 :** प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना		भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(12)		(13)
1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग	—अध्यक्ष	संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है ।
2. संयुक्त सचिव/आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय	—सदस्य	
3. निदेशक, केन्द्रीय जल और विद्युत अनुसंधान केन्द्र, पुणे	—सदस्य	

[फा. सं. 2/7/2000-स्था. II]

आर. के. ओझा, अवर सचिव

New Delhi, the 13th March, 2012

G.S.R. 62.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Central Water and Power Research Station, Pune (Hindi Officer) Recruitment Rules, 1988, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Assistant Director (Official Language), in the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, namely :—

1. **Short title and commencement.—**(1) These rules may be called the Ministry of Water Resources, the Central Water and Power Research Station, Pune, Assistant Director (Official Language), Group 'A' Post Recruitment Rules, 2012.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Number of post, classification, pay band and grade pay or pay scale.—**The number of the post, its classification, pay band and grade pay or pay scale attached thereto shall be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule annexed to these rules.

3. **Method of recruitment, age limit and other qualifications, etc.—**The method of recruitment, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (13) of the said Schedule.

4. **Disqualification. —**No person,—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. **Power to relax.—**Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing and in consultation with the Union Public Service Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

6. **Savings.—**Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Pay Band and Grade Pay or Pay Scale	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Assistant Director (Official Language)	1* (2012) *Subject to variation dependent on workload	General Central Service, Group 'A', Gazetted, Non-Ministerial	Pay Band-3, Rs. 15600—39100 plus Grade Pay Rs. 5400	Not applicable	Not applicable

Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualification prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees	Period of Probation, if any
(7)	(8)	(9)
Not applicable	Not applicable	Two years for promotees

Method of recruitment : Whether by direct recruitment or promotion or deputation/absorption and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion or deputation/absorption, grades from which promotion or deputation/absorption to be made
(10)	(11)
By composite method (Deputation/promotion)	**Composite method (Deputation/Promotion) :** 1. Officers of the Central Government or State Government :— (A) (i) holding analogous post on a regular basis in the parent cadre or Department; or (ii) with two years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4800 in pay band-2 in the parent cadre or department; or (iii) with three years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4600 in pay band-2 in the parent cadre or department; or (iv) with eight years service in the grade rendered after appointment thereto on regular basis in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4200 in pay band-2 in the parent cadre or department; and (B) possessing the following educational qualifications and experience : (I) Masters degree of a recognised University in Hindi with English as a subject at the Bachelor Degree level; OR Masters degree of a recognised University in English with Hindi as a subject at the Bachelor Degree level; OR Masters degree of a recognised University in any subject with Hindi and English as a subject at the Bachelor Degree level; OR Masters degree of a recognised University in any subject with Hindi medium and English as a subject at the Bachelor Degree level; OR Masters degree of a recognised University in any subject with English medium and Hindi as a subject at the Bachelor Degree level; and (II) Five years experience of terminological work in Hindi and/or translation work from English to Hindi or vice-versa, preferably of technical or scientific literature in the Central Government Organisation; OR Five years' experience of teaching, research, writing or journalism in Hindi in the Central Government Organisation. 2. The Departmental Senior Hindi Translator in the scale of pay of Rs. 9300—34800 plus grade pay of Rs. 4600 in pay band-2 with three years regular service in the grade shall also be considered along with outsiders and in case he is selected for appointment to the post, the same shall be deemed to have been filled by promotion. **Note 1 :** For the purpose of computing minimum qualifying service for promotion, the service rendered on a regular basis by an officer

(11)
prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendations has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission.
Note 2 : For the purpose of appointment on Deputation basis, the service rendered on a regular basis by an officer prior to 1st January, 2006, the date from which the revised pay structure based on the Sixth Central Pay Commission recommendation has been extended, shall be deemed to be service rendered in the corresponding grade pay or pay scale extended based on the recommendations of the Pay Commission except where there has been merger of more than one pre-revised scale of pay into one grade with a common grade pay or pay scale, and where this benefit will extend only for the post(s) for which that grade pay or pay scale is the normal replacement grade without any upgradation.
Note 3 : The Departmental officers in the feeder category who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration of appointment on deputation. Similarly, the deputationist shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.
Note 4 : The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other Organisation or Department of the Central Government shall ordinarily not to exceed three years.
Note 5 : The maximum age limit for appointment by deputation shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
(12)		(13)
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission	—Chairman	Consultation with the Union Public Service Commission necessary.
2. Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources	—Member	
3. Director, Central Water and Power Research Station, Pune	—Member	

[F. No. 2/7/2000-E. II]

R. K. OJHA, Under Secy.

कृषि मंत्रालय

(पशुपालन, डेयरी और मत्स्यपालन विभाग)

नई दिल्ली, 13 मार्च, 2012

सा.का.नि. 63.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (आशुलिपिक श्रेणी-I) भर्ती नियम, 2002 और भारतीय मात्स्यिकी सर्वेक्षण (आशुलिपिक श्रेणी-II) भर्ती नियम, 2002 को, उन बातों के सिवाए अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, कृषि मंत्रालय के अधीन पशुपालन,